सं. डीपी/ एचआईएन/ 2010/ 04 /1-3 2007-हिंदी

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, भारत सरकार,

ब्लॉक नं. 3, केंद्रीय कार्यालय परिसर,

लोदी रोड, नई दिल्ली - 110003.

दिनांक : 15/1/2010

कार्यालय ज्ञापन

विषय : केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (मु.) की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 30.12.2009 को हुई बैठक का कार्यवृत्त।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (मु.) की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक दिनांक 30.12.2009 को मुख्य सम्मेलन कक्ष, ब्लॉक नं. 3, केंद्रीय कार्यालय परिसर, लोदी रोड, नई दिल्ली में प्रशासन अधिकारी (कार्मिक), के.अ.ब्यूरो की अध्यक्षता में हुई थी। इस बैठक के कार्यवृत्त की एक-एक प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए संलग्न है।

2. अनुरोध है कि बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई से हिंदी अनुभाग को शीघ्र अवगत कराया जाए।

(किशन चन्द) 15/1/1

सहायक निदेशक (रा.भा.)

के.अ.ब्यूरो, हिंदी अनुभाग,

नई दिल्ली।

संलग्नक : **यथोपरोक्त।**

सेवा में,

1. के.अ.ब्यूरो (मु.) के सभी अनुभाग, प्रभाग, जोन, एकक आदि।
2. पुलिस अधीक्षक, के.अ.ब्यूरो की सभी शाखाएं।
3. निदेशक, सीएफएसएल, के.अ.ब्यूरो, नई दिल्ली।
4. उपनिदेशक (समन्वय), समन्वय प्रभाग, के.अ.ब्यूरो, नई दिल्ली।
5. उपनिदेशक (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, ए-149, सरोजनी नगर, नई दिल्ली-110023.
6. सभी पुलिस उपमहानिरीक्षक, के.अ.ब्यूरो।
7. गार्ड फाइल।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (मु.) की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 30.12.2009 को हुई तिमाही बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 30.12.2009 को हुई केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (मु.) की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक में निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित हुए :-

सर्वश्री

1. श्रीमती एम. सचदेव, प्रशासन अधिकारी (कार्मिक)
2. राम किशन, प्रशासन अधिकारी (लेखा)
3. पीताम्बर दयाल, अपराध सहायक, डीओपी
4. गोपाल कृष्ण गर्ग, कार्यालय अधीक्षक
5. श्रीमती पूनम दुग्गल, कार्यालय अधीक्षक
6. प्रेम प्रकाश, अपराध सहायक
7. एस.सी. करमाकर, कार्यालय अधीक्षक
8. एस. गुणशीलन, पुस्तकालयाध्यक्ष
9. सुनन्दा मजूमदार, उ.श्रे.लि., पुस्तकालय
10. किशन चन्द, सहायक निदेशक (रा.भा.)
11. अनूप सिंह नेगी, सहायक निदेशक (डीओपीटी)

2. अध्यक्ष महोदया श्रीमती एम. सचदेव, प्रशासन अधिकारी (कार्मिक) ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए बैठक की कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया।

3. बैठक का संचालन करते हुए सहायक निदेशक (रा.भा.) ने बताया कि राजभाषा कार्यान्वयन समिति की पिछली बैठक दिनांक 25.09.2009 को हुई थी जिसका कार्यवृत्त दिनांक 09.10.2009 को परिचालित किया था। कार्यवृत्त पर क्योंकि किसी प्रकार की टिप्पणी अथवा आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए प्रस्ताव है कि कार्यवृत्त की पुष्टि की जाए। समिति ने एकमत से पिछली तिमाही की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

4. सहायक निदेशक (रा.भा.) ने बताया कि 30.09.2009 को समाप्त तिमाही की प्रगति रिपोर्ट समेकित करते मंत्रालय को भेजी जा चुकी हैं। साथ ही, उन्होंने यह भी बताया कि विभिन्न अनुभागों से रिपोर्ट प्राप्त होने में देरी होती है जिसके कारण मंत्रालय को रिपोर्ट भेजने में विलंब होता है। अध्यक्ष महोदया ने कहा कि सभी अनुभाग समय पर रिपोर्ट भेज दिया करें।

(कार्रवाई : मुख्यालय के सभी अनुभाग, प्रशा

5. इस तिमाही के दौरान दिल्ली स्थित 7 शाखा कार्यालयों तथा कोलकाता शाखा का निरीक्षण किया गया। इस तिमाही में कुछ शाखा कार्यालयों के निरीक्षण का प्रस्ताव है। इस पर अध्यक्ष महोदया ने अपनी सहमति दी।

(कार्रवाई : हिंदी अनुभाग)

6. अध्यक्ष महोदया ने प्रशासन अनुभाग को निर्देश दिए कि कार्यालय में सभी फाइल कवर द्विभाषी करवा लिए जाएं। नामपट्ट, उपस्थित पंजिका, अवकाश का आवेदन पत्र तथा अवकाश मंजूरी अन्य फार्म, रिकार्ड, मोहरें इत्यादि द्विभाषी होनी अनिवार्य हैं। कार्यालय अनुभागों में हिंदी पंजिका (उपस्थिति रजिस्टर) अलग से बनाने के निर्देश दिए।

(कार्रवाई : कार्मिक (एम) अनुभाग)

7. सहायक निदेशक (रा.भा.) ने बताया कि पिछली तिमाही में 9 एवं 10 दिसंबर, 2009 को एक दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन पुस्तकालय में किया गया जिसमें सदस्यों की उपस्थिति संतोषजनक नहीं थी। इस पर गहरी चिंता व्यक्त की गई है तथा इस तिमाही में भी एक कार्यशाला के आयोजन का प्रस्ताव है। इस पर अध्यक्ष महोदया ने सभी कार्यालय अधीक्षकों को यह निर्देश दिया कि कार्यशाला में अपने कार्मिकों को नामित करें। समिति के सदस्यों ने इस पर सहमति दी।

(कार्रवाई : सभी अनुभाग, प्रभाग, जोन, एकक आदि)

अंत में अध्यक्ष महोदया के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक समाप्त हुई।